

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.)

// ज्ञापन //

क्रमांक / 199 / अपर कले. / भूबंटन / 2023
प्रति,

रायपुर, दिनांक 06/04/2023

वनमण्डलाधिकारी,
रायपुर वन मण्डल,
रायपुर

विषय :- गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु एफ.सी.ए. प्रकरण अंतर्गत गैर वन मद (राजस्व भूमि) उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल, रायपुर का पत्र क्रमांक / वतअ / रा / 556 रायपुर, दिनांक 13.02.2023

—00—

विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा नागपुर-झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईप लाईन लिनियर प्रोजेक्ट का कुछ भाग वन क्षेत्र के गुजरने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन संरक्षण अधिनियम में प्रभावित वन भूमि 15.690 हे. प्रभावित होने के कारण ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62, रा.नि.मं. व तहसील आरंग में स्थित भूमि खसरा नं. 926 में 18.000 हे. भूमि का चयन वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किया गया है। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


6/4/23
कलेक्टर,
रायपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर (छ.ग.)

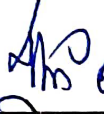
// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा नागपुर-झारसुगुड़ा नेचरल गैस पाईप लाईन लिनियर प्रोजेक्ट का कुछ भाग वन क्षेत्र के गुजरने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन संरक्षण अधिनियम में प्रभावित वन भूमि 15.690 हे. प्रभावित होने के कारण ग्राम भलेरा, प.ह.नं. 62, रा.नि.मं. व तहसील आरंग, जिला रायपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 926 में 18.000 हे. भूमि को क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है।

चयनित राजस्व भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 (3) अंतर्गत व्यपवर्तन के बदले क्षतिपूर्ति हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक— 06.04.2023

स्थान— रायपुर


6/4/23
कलेक्टर,
रायपुर